

कार्यालय जनपद न्यायाधीश -पीलीभीत।

आदेश संख्या- 256/2026 दिनांकित: अगस्त 25, 2026

आदेश

जनपद मुख्यालय, पीलीभीत की बार संघों द्वारा संयुक्त रूप से प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2026 का अवलोकन किया। उक्त के अनुसार, जनपद न्यायालय, पीलीभीत में दिनांक 26.08.2026 को ईद-ए-मिलाद उन नबी/बाराबफात का अवकाश है एवं दिनांक 28.08.2026 को रक्षाबन्धन का अवकाश है, दिनांक 27.08.2026 को जनपद न्यायालय, पीलीभीत, न्यायिक कार्य हेतु खुला है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 27.08.2026 को माननीय न्यायालय में अवकाश घोषित किया गया है। तदनुसार, बार संघों द्वारा दिनांक 27.08.2026 के स्थानीय अवकाश घोषित कर उसके एवज में किसी चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

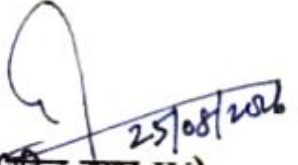
उपरोक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त, जनपद न्यायालय, पीलीभीत, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर हेतु दिनांक 27.08.2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। तथा उक्त स्थानीय अवकाश के एवज में माह सितम्बर 2026 में दिनांक 28.08.2026 चतुर्थ शनिवार को जनपद न्यायालय, पीलीभीत, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर हेतु कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

उपरोक्त घोषित अवकाश सहित चतुर्थ शनिवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2026 में जनपद न्यायालय, पीलीभीत में कार्यदिवस 265 से अधिक रहेंगे।

तदनुसार आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, एम0ए0सी0टी0, समस्त न्यायालयों, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर व समस्त अनुभागों को सूचनार्थ, समस्त बार संघों, नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु, केंद्रीय नजिर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु एवं जिला सूचना अधिकारी को समाचार-पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

समस्त सम्बन्धित अनुपालनार्थ सूचित हों।

दिनांकित: अगस्त 25, 2026


(रविन्द्र कुमार IV)
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत।